

केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

No.3/2/2017/Admin./CIC/80048

Dated: 27.11.2017



विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,


उपरोक्त विषयक का आवेदन इस अनुभाग में ७.११.२०१७ को आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रकित हैं:-

इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) की सहायता से संबंधित अनुभाग से पत्र संख्या No. 3/2/2017/Admin./CIC/80048 दिनांक 21.11.2017 के तहत अनुरोध किया गया था। संबंधित अनुभाग से प्राप्त उत्तर इसके द्वारा संलग्न है।

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं।


(सुशील कुमार)
उप सचिव (प्रशासन) एवं जन सूचना अधिकारी

प्रति: १. जन सूचना अधिकारी, RTI CELL


27/11/17



Central Information Commission
2nd Floor, August Kranti Bhawan
Bhikaji Cama PLACE, New Delhi

No.3/8/2015-CIC/Admn.

Dated the 24th November, 2017

Subject: Seeking assistance under section 5(4) of the RTI Act, 2005 on RTI application dated 7.11.2017 of Harpal Singh Rana.

In reference to your letter No.3/2/2017/Admn/CIC/80048 dated 21.11.2017, the requisite information item-wise are as under:

Item	Reply
3 & 4	केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकारियों की शिकायत श्री शान्ति प्रिय बेक, सयुक्त सचिव (प्रशासन)/मुख्य सहायक अधिकारी के पास की जा सकती है।
5	Ar व्यक्तिगत एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा निर्देश के अनुसार कार्यवाही होती है।

Sh. P. Beck
24.11.17
(S.P. Beck)
JS(Admn)

To

DS/Admn

C. I. C. के सू. आ.
RECEIVED
24 NOV 2017
D. No.....
Initials.....